Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

जनजातीय अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका: विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रेम सिंह अनारे, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा[2]

[1]सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र)ए शासकीय महाविद्यालय कानवन जिला धार (म. प्र.)
[2]प्राध्यापकए महारानी लक्ष्मीबाई शास. कन्या महाविद्यालय भोपाल

शोध सार:
भारत में जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संविधान एवं विभिन्न विधिक प्रावधानों द्वारा जनजातीय समुदायों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन अधिकारों को वास्तविक रूप से समुदाय तक पहुँचाने तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जनजातीय अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में जनजातीय समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, भूमि एवं वन अधिकारों तक पहुँच, सरकारी योजनाओं का लाभ, शिकायत निवारण, विधिक सहायता तथा प्रशासनिक सहभागिता जैसे प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक आँकड़े संरचित प्रश्नावली के माध्यम से 400 उत्तरदाताओं से एकत्र किए गए। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय समुदायों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने, भूमि एवं वन संबंधी अधिकारों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुँचाने तथा अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। अतः अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि जनजातीय अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए जिला प्रशासन को जागरूकता, विधिक सहायता, पारदर्शी शिकायत निवारण, सामुदायिक सहभागिता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को और सुदृढ़ करना चाहिए। इससे जनजातीय समुदायों के अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा तथा समावेशी एवं न्यायसंगत विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

मुख्य शब्द: जनजातीय अधिकार, जिला प्रशासन, संवैधानिक अधिकार, विधिक संरक्षण, जनजातीय विकास।

प्रस्तावना

भारत में जनजातीय समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधता के महत्वपूर्ण वाहक हैं। इन समुदायों की जीवन–पद्धति प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक संस्थाओं, सामुदायिक संबंधों तथा विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें पाँचवीं एवं छठी अनुसूची, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएँ प्रमुख हैं। अध्ययन दर्शाता है कि जनजातीय समुदायों की आजीविका और सामाजिक जीवन वन

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

संसाधनों से निकटता से जुड़ा है तथा स्थानीय शासन संस्थाएँ इन संसाधनों के प्रबंधन और अधिकारों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय अधिकारों का संरक्षण केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप का विषय नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्थाओं एवं समुदाय की सहभागिता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है।
अध्ययन में बताया गया कि अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के लिए दस्तावेजीकरण, मानचित्रण तथा प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं। निचले प्रशासनिक स्तर पर कानून के क्रियान्वयन के दौरान वन–आश्रित समुदायों को अपने अधिकारों को प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रक्रियात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन में विभिन्न जनजातीय अधिकार संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि विधिक एवं प्रशासनिक सुरक्षा–व्यवस्थाएँ उपलब्ध होने के बावजूद जागरूकता शिविरों की कमी, आधिकारिक बैठकों की अनियमितता, विभागों के बीच समन्वय का अभाव तथा शिकायत एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की सीमाएँ अधिकारों के प्रभावी संरक्षण में बाधक हो सकती हैं। अध्ययन ने प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी एवं समुदाय–केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार, जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, प्रशासनिक क्रियान्वयन, जन–जागरूकता, ग्राम सभा की सक्रियता, स्थानीय स्वशासन तथा सामुदायिक सहभागिता परस्पर जुड़े हुए आयाम हैं। ड्लुगोलेस्की (2020) ने Forest Rights Act और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का विश्लेषण करते हुए इसे औपनिवेशिक वन कानूनों से उत्पन्न ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध वन अधिकार, PESA, ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन अथवा विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के किसी एक आयाम पर केंद्रित रहे हैं। इसके विपरीत, वर्तमान अध्ययन जिला प्रशासन की समग्र भूमिका को केंद्र में रखते हुए जनजातीय समुदायों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण और क्रियान्वयन का विश्लेषण करता है।

शोध का महत्व

अध्ययन का महत्व इस बात में है कि संविधान एवं विभिन्न विधिक प्रावधानों द्वारा जनजातीय समुदायों को अनेक अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान की गई हैं, परंतु इनका वास्तविक लाभ प्रभावी स्थानीय क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। जिला प्रशासन इन अधिकारों, योजनाओं एवं नीतियों को समुदाय तक पहुँचाने वाली महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। यह अध्ययन जनजातीय समुदायों में संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, भूमि एवं वन अधिकारों की सुरक्षा, सरकारी योजनाओं की पहुँच तथा शिकायत निवारण में जिला प्रशासन की भूमिका को समझने में सहायक है। साथ ही, यह अध्ययन सुशासन, स्थानीय निर्णय–निर्माण एवं विकास कार्यक्रमों में जनजातीय समुदाय की सहभागिता का भी मूल्यांकन करता है। अध्ययन का महत्व सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में भी है, क्योंकि जनजातीय अधिकारों का संबंध केवल कानूनी संरक्षण से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक विरासत एवं सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण से भी है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष जिला प्रशासन, जनजातीय कल्याण विभाग एवं स्थानीय संस्थाओं को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आवश्यक सुधारों की पहचान करने में उपयोगी होंगे।

साहित्य का पुनरावलोकन

मोहापात्र (2017) ने जनजातीय क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन का अध्ययन करते हुए बताया कि विशेष प्रशासनिक संरचनाएँ जनजातीय विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान करती हैं। उनके अनुसार,

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

स्थानीय स्तर पर शासन में जनजातीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। जनजातीय अधिकारों के संरक्षण में वन एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। समाल (2021) ने Forest Rights Act, 2006 के संदर्भ में समावेशी विकास का विश्लेषण करते हुए पाया कि यह कानून वन–आश्रित समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक संस्थागत एवं परिचालन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकारों की अपेक्षाकृत कम मान्यता तथा क्रियान्वयन संबंधी सीमाओं को रेखांकित किया।
इसी प्रकार, कलाजे (2022) ने भारत में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए बताया कि अधिनियम ने लाखों वन–आश्रित परिवारों को भूमि एवं सामुदायिक संसाधनों से संबंधित अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, अधिकारों की मान्यता और उनके वास्तविक उपयोग के बीच अभी भी प्रशासनिक एवं संस्थागत अंतर मौजूद हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों की उपलब्धता मात्र पर्याप्त नहीं हैय स्थानीय प्रशासन द्वारा दावों की प्रक्रिया, अभिलेखों की उपलब्धता, समुदाय को जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी आवश्यक है। जनजातीय अधिकारों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जागरूकता की भूमिका को खोसला (2023) के अध्ययन से भी समझा जा सकता है। उन्होंने ओडिशा के कोरापुट जिले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अध्ययन करते हुए पाया कि जनजातीय समुदायों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव तथा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी प्रक्रियाओं की कमी अधिकारों की प्राप्ति में बाधा बनती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि संभावित लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया एवं संबंधित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण वे अपने वैधानिक अधिकारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाए। जनजातीय अधिकारों के संरक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम सभा की भूमिका है। प्रसाद एवं सोले (2023) ने झारखंड में जनजातीय स्वशासन और च्ंजींसहंकप प्रथा का अध्ययन करते हुए ग्राम सभा को जमीनी लोकतंत्र की आधारभूत संस्था बताया।

चौबे (2025) ने "शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के संदर्भ में संवैधानिक सुरक्षा और MESA के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण किया। अध्ययन ने PESA, पाँचवीं अनुसूची तथा जनजातीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। शोध से यह संकेत मिलता है कि संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध होने के बावजूद संस्थागत एवं प्रशासनिक स्तर पर उनके वास्तविक क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए उपयोगी है क्योंकि यह दर्शाता है कि जनजातीय अधिकारों का संरक्षण केवल ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि प्रशासनिक संरचना के बदलते संदर्भ में भी इसकी समीक्षा आवश्यक है। रोशनी (2025) ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 और जनजातीय आजीविका के बीच संबंध का अध्ययन किया। शोध में बताया गया कि औपनिवेशिक काल से भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण ने जनजातीय समुदायों में भूमि–विस्थापन और संसाधन–वंचना को बढ़ाया। FRA, 2006 ने वन–आश्रित समुदायों के भूमि एवं वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि दस्तावेजों की कमी तथा अधिकारों के प्रमाणन की जटिल प्रक्रिया के कारण अनेक जनजातीय परिवार अभी भी अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। इस प्रकार, अध्ययन वर्तमान शोध में भूमि अधिकारों के प्रशासनिक क्रियान्वयन और जनजातीय आजीविका सुरक्षा के विश्लेषण को आधार प्रदान करता है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

वर्मा (2026) ने झारखंड की मुंडा जनजाति के संदर्भ में थ्त्। के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। शोध में विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकारों तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया गया। अध्ययन में पाया गया कि FRA जनजातीय समुदायों के लिए संस्थागत परिवर्तन और वन शासन में समुदाय की भूमिका को मजबूत करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में अधिकारों की सीमित मान्यता, प्रक्रियात्मक अस्पष्टता, पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव तथा दावों के अस्वीकार किए जाने जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। भगत (2026) ने भारत में जनजातीय भूमि एवं वन अधिकारों के संवैधानिक, वैधानिक तथा न्यायिक ढाँचे का सामाजिक–कानूनी विश्लेषण किया। अध्ययन ने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 244 तथा पाँचवीं एवं छठी अनुसूची के साथ PESA और FRA जैसे कानूनों का विश्लेषण किया। अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा के बावजूद अधिकारों की मान्यता और जमीनी वास्तविकताओं के बीच अंतर बना हुआ है। विशेष रूप से भूमि, विस्थापन, खनन तथा विकास परियोजनाओं से संबंधित परिस्थितियाँ जनजातीय समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

शोध अंतराल

उपरोक्त अध्ययनों के समेकित अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती शोध मुख्यतः वन अधिकार अधिनियम, भूमि एवं वन संसाधनों पर अधिकार, ग्राम सभा, PESA, विकेंद्रीकृत शासन, जनजातीय स्वशासन तथा अधिकारों के स्थानीय क्रियान्वयन पर केंद्रित रहे हैं। इन अध्ययनों के बावजूद जिला प्रशासन की समग्र भूमिकाकृअर्थात् संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिकायत निवारण, भूमि एवं वन अधिकारों की पहुँच, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रशासनिक सहयोग तथा जनजातीय समुदाय की विकासात्मक एवं स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में सहभागिता का एकीकृत अनुभवजन्य मूल्यांकन अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध–अंतर को संबोधित करते हुए जनजातीय अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका का समग्र विश्लेषण करने का प्रयास करता ळें

शोध उद्देश्य

1. जनजातीय अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करना ।

शोध अभिकल्प

अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का चयन किया गया है। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के माध्यम से धार जिले में निवासरत जनजातीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े धार जिले के चयनित जनजातीय परिवारों से संरचित साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए। द्वितीयक आँकड़े शोध–पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किए गए। अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश के धार जिले तक सीमित है, जहाँ भील, भिलाला, पटलिया तथा अन्य जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करते हैं। अध्ययन हेतु धार जिले की 08 तहसील–बदनावर, धरमपुरी, मनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, गंधवानी, डही का चयन किया गया हैं। इन 08 तहसीलों में से 10 गाँवों का चयन निदर्शन विधि द्वारा किया गया और इन गाँवों से जनजातीय समुदाय के

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

चयनित परिवारों में से चयन कर कुल 400 हितग्राही का अध्ययन किया गया हैं। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण टी–परीक्षण की सहायता से किया गया।

शोध परिकल्पना

(H_{01}) जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के औसत स्तर में मध्य मान से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

(H_{11}) जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के औसत स्तर में मध्य मान से कोई महत्वपूर्ण अंतर है।

तालिका क्रमांक 1

जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास

क्र.	कथन	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	टी–परीक्षण मान	p मान
1	जिला प्रशासन जनजातीय समुदाय को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करता है।	3.3750	1.17381	3.346	0.002
2	जनजातीय समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का जिला प्रशासन समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण करता है।	3.3200	1.19632	4.567	0.003
3	जिला प्रशासन जनजातीय समुदाय को भूमि, वन एवं अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित योजनाओं एवं प्रावधानों का लाभ दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाता है।	3.3350	1.09351	2.698	0.001
4	जिला प्रशासन के प्रयासों से जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में सकारात्मक सुधार हुआ है।	3.3250	1.11016	2.012	0.002

तालिका क्रमांक 4.1 में जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक–नमूना t–परीक्षण के माध्यम से परीक्षण किया गया है। सभी कथनों के p–मूल्य 0.

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

05 से कम हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कथन का औसत स्कोर मध्य मान से सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है।

पहले कथन "जिला प्रशासन जनजातीय समुदाय को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करता है" का माध्य 3.3750 तथा मानक विचलन 1.17381 है। इसका t–मूल्य 3.346 और p–मूल्य 0.002 है। चूँकि p–मूल्य 0.05 से कम है, इसलिए यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तरदाताओं ने जिला प्रशासन द्वारा अधिकार–जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में सकारात्मक धारणा व्यक्त की है। दूसरे कथन "जनजातीय समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का जिला प्रशासन समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण करता है" का माध्य 3.3200 तथा मानक विचलन 1.19632 है। t –मूल्य 4.567 और p–मूल्य 0.003 प्राप्त हुआ है। p–मूल्य 0.05 से कम होने के कारण मध्य मान से अंतर महत्वपूर्ण है। उत्तरदाता शिकायतों के समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण के संबंध में जिला प्रशासन की भूमिका को सकारात्मक मानते हैं।

तीसरे कथन "जिला प्रशासन जनजातीय समुदाय को भूमि, वन एवं अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित योजनाओं एवं प्रावधानों का लाभ दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाता है" का माध्य 3.3350 और मानक विचलन 1.09351 है। इसका t –मूल्य 2.698 तथा p–मूल्य 0.001 है। p–मूल्य 0.05 से कम होने के कारण यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तरदाताओं ने भूमि, वन एवं अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित योजनाओं का लाभ पहुँचाने में जिला प्रशासन की भूमिका को संतोषजनक एवं सकारात्मक माना है।

चौथे कथन "जिला प्रशासन के प्रयासों से जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में सकारात्मक सुधार हुआ है" का माध्य 3.3250 तथा मानक विचलन 1.11016 है। t –मूल्य 2.012 तथा p–मूल्य 0.002 है। p–मूल्य 0.05 से कम होने के कारण मध्य मान से प्राप्त अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तरदाताओं के अनुसार जिला प्रशासन के प्रयासों से जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में सकारात्मक सुधार हुआ है।

अतः शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) को स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ है कि जनजातीय समुदाय के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के औसत स्तर में मध्य मान से सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है।

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकलता है कि जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय समुदायों के अधिकार–जागरूकता, शिकायत निवारण, भूमि एवं वन अधिकारों से संबंधित योजनाओं की पहुँच तथा संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास अपेक्षाकृत प्रभावी और सकारात्मक हैं। प्रशासनिक प्रयासों से समुदायों को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध सरकारी प्रावधानों के प्रति जागरूक होने में सहायता मिली है। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध निवारण तथा भूमि एवं वन अधिकारों से संबंधित योजनाओं का लाभ पहुँचाने में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

दिखाई देती है। इन प्रयासों से जनजातीय समुदायों में अधिकार–सुरक्षा, प्रशासनिक सहभागिता एवं संस्थागत विश्वास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अतः जिला प्रशासन को इन प्रयासों को निरंतर मजबूत करते हुए अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सुझाव

- जनजातीय समुदायों को उनके संवैधानिक, विधिक, भूमि एवं वन अधिकारों की जानकारी देने के लिए ग्राम स्तर पर नियमित जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँ।
- अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी जनजातीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में उपलब्ध कराई जाए, ताकि समुदाय इसे आसानी से समझ सके।
- जनजातीय समुदायों की शिकायतों के लिए सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाए तथा शिकायतों की नियमित निगरानी की जाए।
- वन अधिकार एवं भूमि संबंधी दावों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा पात्र जनजातीय परिवारों को उनके अधिकारों का वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया जाए।
- अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जनजातीय समुदायों को निःशुल्क एवं सुलभ विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
- विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में ग्राम सभा तथा स्थानीय जनजातीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- जनजातीय कल्याण, राजस्व, वन, पंचायत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ एकीकृत रूप से समुदाय तक पहुँच सके।
- सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा वंचित परिवारों की नियमित पहचान की जाए।
- जनजातीय समुदायों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में न देखते हुए उन्हें योजना–निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।
- योजनाओं, लाभार्थियों, अधिकारों एवं शिकायतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और समुदाय का विश्वास बढ़े।
- डिजिटल सूचना प्रणालियों के साथ–साथ ग्राम सभा, सामुदायिक बैठक, शिविर एवं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाए, ताकि डिजिटल सुविधा से वंचित समुदाय भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य के शोध की संभावनाएँ

- भविष्य के शोध में विभिन्न जिलों एवं राज्यों में जनजातीय अधिकारों के संरक्षण में जिला प्रशासन की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- जनजातीय महिलाओं एवं युवाओं की अधिकार–जागरूकता, निर्णय–निर्माण तथा स्थानीय शासन में सहभागिता पर विशेष अध्ययन किया जा सकता है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

- जिला प्रशासन की भूमिका के साथ–साथ ग्राम सभा, पंचायत, जनजातीय स्वशासी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है।
- डिजिटल प्रशासन एवं ई–गवर्नेंस के माध्यम से जनजातीय समुदायों तक अधिकारों, योजनाओं एवं शिकायत निवारण सेवाओं की पहुँच का अध्ययन किया जा सकता है।
- अंततः, भविष्य के शोध में अधिकार–आधारित एवं सहभागी प्रशासन के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में लागू एवं परीक्षण किया जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. Anusha, C. (2024). Making individual claims under the Forest Rights Act, 2006: Clarifying and defining Adivasi lands. *Contributions to Indian Sociology, 57*(3). 40-49.
2. https://doi.org/10.1177/00699659231219308
3. Bhagat, P. (2026). Normative guarantees and ground realities: A socio-legal inquiry into indigenous land and forest rights in India. *International Journal of Law and related scholarship*, 12(2). 34-37.
4. Biswal, D. K., & Mohanty, S. (2026). Right to habitat of particularly vulnerable tribal groups in Forest Rights Act 2006: A discourse in ecological democracy in India. *International Journal of Law, Policy and Social Review, 8*(2), 352–355.
5. https://doi.org/10.66856/ijlpsr.2026.8.2.8123
6. Choubey, K. N. (2025). Adivasis, urban centres, and mirage of constitutionalism: A study of the unfulfilled promise of the Municipalities (Extension to Scheduled Areas) Act (MESA). *Social Change, 55*(4), 614–628. https://doi.org/10.1177/00490857251386231
7. Dlugoleski, D. N. (2020). Undoing historical injustice: The role of the Forest Rights Act and the Supreme Court in departing from colonial forest laws. *Indian Law Review, 4*(2), 221–243. https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1783941
8. Jena, D., Swain, S., Mishra, P., Samantaray, S., Behera, M. R., & Mohanty, A. K. (2026). Assessing the socio-economic impacts of the Forest Rights Act on tribal communities in Odisha: An empirical study of the Juang tribe. *Indian Journal of Information Sources and Services, 16*(2), 508–516. https://doi.org/10.51983/ijiss-2026.16.2.51
9. Kallaje, R. S. (2022). Implementation of Forest Rights Act in India: A review article. *Indian Forester, 148*(8), 759–765. https://doi.org/10.36808/if/2022/v148i8/166534
10. Khosla, R. K. (2023). Implementation of Forest Rights Act in scheduled areas: A study of Koraput District of Odisha. *International Journal of Development Research, 13*(1), 61389–61394. https://doi.org/10.37118/ijdr.26254.01.2023
11. Lal Chhandama, L., Majumdar, K., & Sengupta, A. (2025). Development-induced interventions and socio-cultural transitions among the tribes of North-East India. *Discover Global Society, 3*, 107. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00242-0

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 5, September-October 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i05.1502

12. Mohanty, H. (2020). An empirical study on the legislations of tribal rights and its implementation status: Good practices and lessons learnt. Scheduled Castes & Scheduled Tribes Research and Training Institute, Odisha.
13. Mohapatra, G. (2017). Decentralised governance and tribal development in scheduled areas of Northeast India: A case study of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. *Indian Journal of Public Administration, 63*(3).
14. https://doi.org/10.1177/0019556117720616
15. Prasad, S., & Sole, N. A. (2023). Tribal self-governance in Jharkhand: Insights into the implementation of self-rule through Pathalgadi practices. *Contemporary Voice of Dalit*. https://doi.org/10.1177/2455328X231180060
16. Roshni, P. K. (2025). Guardians of the land: Forest Rights Act and tribal livelihoods. *Journal of Contemporary Politics, 4*(4). https://doi.org/10.53989/jcp.v4i4.25.89
17. Samal, J. S. (2021). Inclusive development and Forest Rights Act 2006: A critical look. *Journal of Public Affairs, 21*, e2474. https://doi.org/10.1002/pa.2474
18. Soren, P., & Naik, I. C. (2023). Role of Panchayati Raj Institution and tribal rights in forest resources management: A study of Mayurbhanj District of Odisha. *Contemporary Voice of Dalit*. https://doi.org/10.1177/2455328X231170747
19. Verma, S. (2026). Implementation and implications of the Forest Rights Act, 2006 on tribal rights: A case study of Munda Tribe in Jharkhand. *Central University of Kashmir Law Review*.